## प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



## भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

.वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi Website : www.rbi.org.in ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1833



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

**Department of Communication**, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

9 मार्च 2022

## बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि को बढ़ाया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे अंतिम बार 8 दिसंबर 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-51/12.26.004/2021-22 के द्वारा 9 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में यह आवश्यक समझा है कि उपर्युक्त निदेशों की परिचालन अविध बढ़ाई जाए। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पिठत धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 7 मार्च 2022 के निदेश डीओआर.एमओएन/डी-69/12.26.004/2021-22 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतद्वारा निदेश दिए हैं कि दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.पीसीसी.डी-4/12.26.004/2018-19 के माध्यम से दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को जारी निदेश, जिसकी वैधता अविध 09 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 10 मार्च से 9 जून 2022 तक अगले तीन माह की अविध के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक